प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.02.2025

थाना लोनी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एलईडी टीवी बरामद ।

दिनांक 09.02.2025 को थाना लोनी पर वादिया द्वारा अभियुक्त 1. लक्ष्य 2. नुकुल के विरूद्ध घर से सामान चोरी की नामजद तहरीर दी गई। जिसमें थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धारा-305 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

दिनांक 10.02.2025 को थाना लोनी पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त लक्ष्य उर्फ लच्छे पुत्र जोगिन्द्र उर्फ योगेश निवासी प्रगति विहार पुस्ता थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल निवासी म0नं0 के 580 गली नं0 3 गौतम विहार घडी मेंडू पोस्ट भजनपुरा नोर्थईस्ट दिल्ली को चौकी क्षेत्र अशोक विहार से मय चोरी की **एलईडी** टीवी सहित गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा-317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई व अभियुक्त के दूसरे साथी की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं म0नं0 के 580 गली नं0 3 गौतम विहार घडी मेंडू पोस्ट भजनपुरा नोर्थईस्ट दिल्ली का मूल निवासी हूँ, वर्तमान में प्रगति विहार पुस्ता थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में किराये पर रहता हूँ। दिनांक 26.01.2025 को हमारे मोहल्ले के पास में रहने वाली लक्ष्मी ऊपरेती जो अपने पूरे परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ पर शादी में गयी थी व अपने घर की चाबी मुझे देकर गयी थी। मैं अपने साथी नुकुल के साथ मिलकर घर से सामान चोरी कर भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

लक्ष्य उर्फ लच्छे पुत्र जोगिन्द्र उर्फ योगेश निवासी प्रगति विहार पुस्ता थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल निवासी म0नं0 के 580 गली नं0 3 गौतम विहार घडी मेंडू पोस्ट भजनपुरा नोर्थईस्ट दिल्ली

बरामदगी का विवरण

चोरी की एक **एलईडी** टीवी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण में थाना लोनी पर अभियुक्त के विरूद्ध चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 09.02.2025 की रात्रि में वादिया ने थाना अंकुर विहार पर एक तहरीर दी गई कि अभियुक्त सरफराज द्वारा मेरी नाबालिक बेटी उम्र करीब 16 वर्ष को होटल में ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाना। जिसके सम्बन्ध में

थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा-123 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 10.02.2025 को पीडिता के बयानों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 65(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई।

आज दिनांक 11.02.2025 को थाना अंकुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सरफराज पुत्र मौ0 शब्बीर निवासी मौहल्ला कासिम विहार, साहिल डेयरी अख्तर मीट वाली गली, थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष को सभापुर कट के नीचे, थाना अंकुर विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरी पीडिता से करीब 02 सप्ताह पूर्व इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। दिनांक 05.02.2025 को शाम के समय मैंने पीडिता को फोन करके बुद्धबाजार में बुलाया था तो पीडिता अपने घर पर बाजार जाने का बहाना करके मेरे साथ आ गयी थी। हम ऑटो से एक होटल, अंकुर विहार में पहुँचे तथा वहाँ पर मैंने कोल्ड ड्रिंक में एक नशीला पदार्थ पीडिता को पिलाकर उसके साथ गलत काम किया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-</u>

सरफराज पुत्र मौ0 शब्बीर निवासी मोहल्ला कासिम विहार, साहिल डेयरी अख्तर मीट वाली गली, थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

<u>पंजीकृत अभियोग व अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरणः-</u>

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम –</u>

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 देशी तमन्चा व 01 तलवार बरामद

दिनांक 09.02.2025 को थाना निवाडी पर वादी द्वारा दी गई तहरीर कि अभियुक्तगण 1. मोहित शर्मा पुत्र नानक शर्मा 2. मोहित 3. गणेश पुत्र नामालूम व कलवा उर्फ भूरा निवासी ग्राम पूठरी व बंटी निवासी हरियाणा व कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी विनोद शर्मा पुत्र सुखपाल शर्मा निवासी उजैडा निवाडी गाजियाबाद के मकान पर बनी परचून की दुकान मे घुसकर तमंचा, तलवार व लाठी से हमला करने के सम्बन्ध में धारा 115(2)/190/191(2)/191(3)/331(6)/351(2) बीएनएस मे एफआईआर पंजीकृत की गयी। जिसमे आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए थाना निवाडी पुलिस द्वारा)1नानक शर्मा निवासी ग्राम मोहित शर्मा पुत्र स्व0 (उजैडाथाना निवाडी जनपद गाजियाबाद उम्र) वर्ष 292कुलदीप पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पूठरी थाना (वर्ष 35 निवाडी जनपद गाजियाबाद उम्र को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मोहित शर्मा उपरोक्त के कब्जे से

घटना मे प्रयुक्त एक अदद नाजायज देशी तमंचा व अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त से घटना मे प्रयुक्त एक अदद तलवार बरामद हुई।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त मोहित शर्मा ने बताया कि मै गांव उजैडा का वर्तमान प्रधान हूँ, मैं पूर्व हरियाणा में पंजीकृत धारा 302 भादवि के अभियोग मे जेल गया था, उस दौरान प्रधान पद का कार्य ग्राम पंचायत सदस्य प्रवीण चौधरी की देखरेख में चल रहा था जब मैं जेल से जमानत पर वापस आया तो मेरे द्वारा सदस्य प्रवीण चौधरी से उस कार्यकाल के दौरान हुए आय-व्यय की जानकारी ली गयी तो पैसे के लेन देन के हिसाब के दौरान प्रवीण चौधरी एवं परिवारीजन के साथ हम लोगो का झगडा हो गया। जिस कारण दिनांक 09.02.2025 को सदस्य प्रधान प्रवीण चौधरी के भतीजे विनोद से हम लोग हाथ मे तमंचा, तलवार, लाठी लेकर उसे मारपीट की नियत से उसकी दुकान पर जाकर झगडा किया। जिसमे दोनो पक्षो में चोटे आयी है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

)1नानक शर्मा निवासी ग्राम उजैडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद मोहित शर्मा पुत्र स्व0 (, उम्र वर्ष 29

) 2कुलदीप पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पूठरी थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद (, उम्र वर्ष 35

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण

अभियुक्त मोहित शर्मा तथा अभियुक्त कुलदीप के विरुद्ध उपरोक्त मारपीट की घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त मोहित शर्मा के विरुद्ध पूर्व में 02 अभियोग मारपीट के सम्बन्ध मे पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी कर सौहार्द खराब करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10.02.2025 को थाना लोनी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म इन्स्टाग्राम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 के फोटो के साथ अभद्र टिप्पणी कर धमकी देने व सौहार्द बिगाडने की कोशिश करने वाले के अभियुक्त के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत कर घटना कारित करने वाले अभि0 आफताब मंसूरी पुत्र आजाद मंसूरी निवासी ग्राम जीवनाबाद थाना जैथरा जनपद एटा उ0प्र0 हाल पता किराये का मकान जैन कालोनी निकट छप्पर वाली मस्जिद अशोक विहार लोनी गा0बाद उम्र 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

आफताब मंसूरी पुत्र आजाद मंसूरी निवासी ग्राम जीवनाबाद थाना जैथरा जनपद एटा उ0प्र0 हाल पता किराये का मकान जैन कालोनी निकट छप्पर वाली मस्जिद अशोक विहार लोनी गा0बाद, उम्र 29 वर्ष

आपराधिक इतिहास

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम